



संख्या 13536 -नि०(मा०सं०)/उपाकालि/7वां वे०आ०,

दिनांक 28 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों में पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्तों की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1199/I(2)/2017-05-34/2016, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 एवं वित्त विभाग (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 290/XXVII(7)50 (16) / 2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या 291/XXVII (7) 30 (8) / 2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या 165/XXVII (7)30(7)2017, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के अनुक्रम में दिनांक 01-01-2016 को निगम की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत नियमित कार्मिकों (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नियमित कार्मिकों सहित) तथा उसके बाद नवनियुक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण, विकल्प तथा प्रक्रिया विषयक कार्यवाही संलग्न उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के अनुसार संपादित की जायेगी।

2. सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप अवशेष वेतन का भुगतान दिनांक 01-01-2017 से नकद देय होगा तथा दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 31-12-2016 तक अवशेष वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे। शासन द्वारा जब तक भत्ते पुनरीक्षित नहीं किये जाते तब तक पूर्व की भाँति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही भत्ते देय होंगे।

3. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 290/XXVII (7)50 (16) / 2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 एवं आदेश संख्या 165/XXVII (7)30(7)2017, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 में उल्लिखित वेतनमानों से भिन्न ग्रेड वेतन के वेतनमानों का पुनरीक्षण उनके निकटतम न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स में संरक्षित करते हुए किया जायेगा।

4. निगम में कार्यरत कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम०ए०सी० पी०एस०), उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-11/XXVII(7)30(14) / 2017, दिनांक 17 फरवरी, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01-01-2017 से लागू होगी। दिनांक 01-01-2016 से प्रोन्नति/ए०सी०पी० के अन्तर्गत वेतन निर्धारण अधिसूचना संख्या-290/XXVII(7)50 (16)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या 165/XXVII (7)30(7)2017, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 में उल्लिखित वेतनमानों से भिन्न ग्रेड वेतन के मैट्रिक्स में निकटतम न्यूनतम में किया जायेगा। निगमादेश संख्या 6303-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/समयबद्ध वेतनमान, दिनांक 15 जुलाई, 2013 एवं संख्या 6851-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/समयबद्ध वेतनमान, दिनांक 14 अगस्त, 2013 द्वारा लागू ए०सी०पी० की पुरानी व्यवस्था दिनांक 31-12-2016 तक सातवें वेतन आयोग में भी लागू रहेगी।

कमशः पृष्ठ - 02 :-

5. उ०पा०का०लि० के आदेश संख्या 8283-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/दि.12-08-2016 द्वारा अनुमन्य करायी गई, प्रोन्नति का लाभ अगली वेतनवृद्धि की तिथि से लिये जाने सम्बन्धी विकल्प की सुविधा सातवें वेतन आयोग में भी यथावत् लागू रहेगी ।
6. निगम कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग में शासन के आदेशों की अनुरूपता में मंहगाई भत्ता दिनांक 01-01-2016 से शून्य, दिनांक 01-07-2016 से 2 प्रतिशत, दिनांक 01-01-2017 से 4 प्रतिशत एवं दिनांक 01-07-2017 से 5 प्रतिशत की दर पर देय होगा ।
7. उक्त आदेश के अनुसार अधिकारियों के वेतन निर्धारण एवं वेतन प्राधिकार जारी करने का कार्य केन्द्रीय लेखा कार्यालय, देहरादून द्वारा किया जाएगा। कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित इकाईयों द्वारा पूर्व की भांति किया जायेगा एवं वेतन निर्धारण की जाँच केन्द्रीय लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों द्वारा की जाएगी। उक्त आदेश के अनुसार देय अवशेष का भुगतान क्षेत्रीय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित लेखा इकाई की जाँच के पश्चात किया जायेगा ।
8. निगम कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग में प्रयोज्य विकल्प पत्र एवं वचनबद्ध का प्रारूप पत्र भी संलग्न है। निगम कार्मिकों द्वारा इस विकल्प का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उक्त विकल्प पत्र एवं वचनबद्ध इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह के अन्दर सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी के पास पहुँच जाए। यदि विकल्प से सम्बन्धित सूचना उल्लिखित समय के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है तो यह माना जाएगा कि निगम कार्मिक ने दिनांक 01-01-2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

संलग्नक :- शासनादेश संख्या 1199, दिनांक 25-09-2017,

शासन के अनुसार वेतन मैट्रिक्स व विकल्प पत्र एवं वचनबद्ध ।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या 13536 -नि०(मा०सं०)/उपाकालि/7वां वे०आ०, दिनांक, 28, नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, सचिव(ऊर्जा) व अध्यक्ष, उ०पा०का०लि०, सचिवालय भवन, सुभाष मार्ग, देहरादून ।
- 2- सीनियर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, प्रबन्ध निदेशक, उ.पा.का.लि., वि.का.वि.ग.सिं.ऊ०भ० देहरादून ।
- 3- निदेशक(परिचालन/परियोजना/वित्त/मा०सं०) उ.पा.का.लि., वि.का.वि.ग.सिं.ऊ.भ.देहरादून ।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- 5- समस्त महाप्रबन्धक (वित्त), उ०पा०का०लि०, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 6- महाप्रबन्धक(विधिक/क०स०) उ०पा०का०लि०, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- 8- लोक सूचनाधिकारी(मा०सं०), उ०पा०का०लि०, वि०का०वि०ग०सिं० ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 9- अधिशासी अभियन्ता(आई०टी०), उ०पा०का०लि०, वि०का०वि०ग०सिं० ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- 10- कट फाइल/कार्यालय ज्ञापन पंजिका ।

[पी०सी०व्या०/२४/११/१२
निदेशक(मा०सं०.)

No. 8797 MD/F2 Dt. 28/9/2017

संख्या-1199 /I(2) /2017-05-34/2016

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
देहरादून।

3 प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
देहरादून।

2 प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि०
देहरादून।

डायरी सं... 11553
दिनांक 28/9/17

महाप्रबन्धक (मा.सं.) (प्रभारी)
वरिष्ठा अधि. (ओ.सं./मा.सं.-I/II)
वरि. अधि. (मा.सं.) (पु.का.)
श्रीमति मीनाक्षी, सहा. अभि.
सु. कोमल, सहा. अभि.
सहा. लेखाधिकारी (मा.सं.)
श्री सुमित, का. अधि.
श्री राजेश, का. अधि.
श्री अशोक, का. अधि. (वि.श्रे.)
कम्प. कार्य. निदेशक (मा.सं.)

कृपया दि.....को चर्चा करें/
आवश्यक कार्यवाही करें।
निदेशक (मा.सं.)

ऊर्जा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 25 सितम्बर, 2017

विषय:- ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्ते की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-290/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या-291/XXVII(7)30(8)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या-266/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या-267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या-165/XXVII(7)30(7)/2017 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त अधिसूचना संख्या-290, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में संलग्न वेतन मैट्रिक्स में प्रति स्थापित वेतन इस प्रतिबन्ध/शर्त के साथ अनुमन्य किया जाता है कि इस सम्बन्ध में होने वाला कोई भी परिवर्तन शासन की अनुमति से ही किया जायेगा।

3- उक्त निगमों में सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप अवशेष वेतन का भुगतान दिनांक 01.01.2017 से नगद देय होगा तथा दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक अवशेष वेतन भत्तों एवं एरियर के भुगतान हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे।

4- उक्त तीनों निगमों के कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०एस०), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-11/XXVII(7)30(14)/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से लागू होगी।

5- ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के सीधी भर्ती के पदों को फीज करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती/चयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि परियोजनाओं के संचालन हेतु कार्मिकों की आवश्यकता है एवं जिन पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है, ऐसे पदों पर भर्ती/चयन

हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए आवश्यक पदों पर ही भर्ती/चयन की कार्यवाही की जाय, जिन पदों पर आउटसोर्सिंग से कार्य लिया जा रहा है ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार ही नियत मानदेय का भुगतान किया जाय। भविष्य में निगम के अधीन स्वीकृत पदों की परिधि में ही आउटसोर्स से कार्मिकों की तैनाती की जायेगी।

6- निगमों के कार्मिकों को सातवां वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्ययभार उक्त निगमों द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और निगमों द्वारा मित्तव्ययता सुनिश्चित करते हुए संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी।

7- अधिसूचना संख्या-290 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित वेतनमानों से भिन्न ग्रेड पे के वेतनमानों का पुनरीक्षण निकटतम न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स में संरक्षित करते हुए किया जायेगा।

8- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-243/XXVII(10)/2017 दिनांक 25 सितम्बर, 2017, द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोपरि।

संख्या- I(2)/2017-05-34/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवालना, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।
10. गार्ड फाईल।

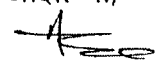
मन्दीया,
(राधिका झा)
सचिव

आज्ञा से,
(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7
संख्या: 299/XXVII(7)50(16)/2016
देहरादून: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना संख्या-290/xxvii(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित
“उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016” की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त की 500 प्रतियों राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7
संख्या-२१०/XXVII(7)50(16)/2016
देहरादून : दिनांक-२४ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 है।
(2) यह नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

सरकारी सेवकों की श्रेणियों जिन पर ये नियम लागू होंगे:-

- (1) इन नियमों द्वारा या इसके अधीन अन्यथा प्रावधान के सिवाय, ये नियम राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त पूर्णकालिक सरकारी सेवकों जिनका वेतन राज्य की समेकित निधि से आहरित किया जाता है।
- (2) ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:-
- (i) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी;
 - (ii) न्यायिक सेवा के अधिकारी;
 - (iii) शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक, जो यू0सी0जी0/ए0आई0सी0टी0 एवं आई0सी0ए0आर0 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त हैं;
 - (iv) जूनियर डॉक्टर/कार्य प्रभारित कर्मचारी;
 - (v) ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं;
 - (vi) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है;
 - (vii) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें मासिक आधार से भिन्न अन्यथा आधार पर भुगतान

किया जाता है; जिसके अन्तर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें केवल उजरती (Piece Rate) आधार पर भुगतान किया जाता है।

(viii) संविदा पर नियोजित व्यक्तियों;

(ix) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी सेवा में पुनः नियोजित व्यक्तियों;

(x) किसी अन्य श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा इन नियमों में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों अथवा किसी उपबंध के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें।

परिभाषाएं

3. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

- (i) "विद्यमान मूल वेतन" से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (ii) सरकारी सेवक के सम्बन्ध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन से अभिप्रेत है;
- (iii) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से, इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को, वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ और शीर्ष वेतनमान के लिए लागू वेतनमान में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान अभिप्रेत है।
- (iv) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति अथवा वेतनमान अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण—

ऐसा सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में था, अथवा यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में "विद्यमान मूल वेतन" विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और "विद्यमान वेतनमान" जैसे शब्दों का यह

अभिप्राय होगा कि— उस पद जो राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत से काम न कर रहे होने की सूरत में, जैसी भी स्थिति हो, उसने धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से है।

- (v) "विद्यमान परिलब्धियों" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;
- (vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के स्तर (Level) तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा-निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;
- (vii) वेतन मैट्रिक्स में "स्तर (Level)" से, इन नियमों की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुरूपी लेवल अभिप्रेत होगा।
- (viii) "स्तर (Level) में वेतन" से अनुसूची-1 में यथा-विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (ix) किसी पद के सम्बन्ध में "संशोधित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट स्तर (Level) अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।
- (x) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से, वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (xi) "संशोधित परिलब्धियों" से, संशोधित वेतन संरचना में किसी सरकारी सेवक के स्तर में वेतन अभिप्रेत है; और
- (xii) "अनुसूची" से, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 अभिप्रेत है।

पदों का स्तर

4. संशोधित वेतन संरचना में पदों के स्तर (Level) का निर्धारण उन विभिन्न स्तरों (Levels) के अनुसार किए जाएंगे जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा-विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड

और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।

**संशोधित वेतन 5.
संरचना में वेतन
का आहरण**

इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय सरकारी सेवक उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई सरकारी सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकता है :

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, वेतन बैंड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के कारण उच्च वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति, वेतन बैंड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण अथवा समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

स्पष्टीकरण-1 इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण-2 उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।

स्पष्टीकरण-3 जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22 या किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलंबित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

विकल्प का प्रयोग 6. (1)

नियम-5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-2 में लिखित रूप में इस प्रकार से किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात्त्वर्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाए।

बशर्ते कि-

- (i) ऐसा सरकारी सेवक जो ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, यथास्थिति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर राज्य से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में जाने से ठीक पूर्व जिस विभाग एवं पद पर कार्यरत था, उस विभाग एवं पद पर उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन माह के अंदर उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाए; और
 - (ii) यदि सरकारी कर्मचारी 01 जनवरी, 2016 को निलंबन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अंदर करे यदि वह तारीख इस उप नियम में नियत तारीख के बाद की तारीख हो।
- (2) सरकारी सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-2 में, एक वचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।
 - (3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, उप-नियम (1) में उल्लिखित समय के अन्दर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि सरकारी सेवक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया है।
 - (4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम विकल्प होगा।

टिप्पणी-1

ऐसे व्यक्तियों की जिनकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थी और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर

सके थे, उप-नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

टिप्पणी-2

ऐसे व्यक्तियों की जिनकी 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय-सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस संशोधित वेतन संरचना के विकल्प का चयन कर लिया है यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाई कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी-3

ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें अवकाश वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, इस नियम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

**संशोधित वेतन 7.
संरचना में वेतन
का निर्धारण**

(1)

किसी सरकारी सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राज्यपाल, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, स्थायी पद जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा यदि धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका धारणाधिकार रहा होता, में उसके वास्तविक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि से अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:-

(क)

सभी कर्मचारियों के मामले में

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में सम्बन्धित कार्मिक का मूल वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि (Figure) वेतन मैट्रिक्स के उसी स्तर में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य स्तर की किसी कोष्ठिका (Cell) में तदनुरूपी (Corresponding) कोई समरूप (Identical) राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूल वेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य स्तर के किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य स्तर में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम

राशि), उसके वर्तमान मूल वेतन को उपरोक्तानुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूल वेतन, उस प्रयोज्य स्तर में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
(उदाहरण-एक)

ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने दिनांक 01-01-2016 को नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत किया है:-

उदाहरण

दिनांक 31-12-2015 को :-	वेतन बैंड	5200-20200				
	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
1. विद्यमान वेतन बैंड: पीबी-1						
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400						
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन:						
10160	1	18000	19900	21700	25500	29200
4. विद्यमान मूल वेतन: 12560	2	18500	20500	22400	26300	30100
(10160+2400)	3	19100	21100	23100	27100	31000
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 12560 x 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)	4	19700	21700	23800	27900	31900
6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी	5	20300	22400	24500	28700	32900
लेवल : लेवल 4	6	20900	23100	25200	29600	33900
7. दिनांक 01-01-2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि): 32300	7	21500	23800	26000	30500	34900
	8	22100	24500	26800	31400	35900
	9	22800	25200	27600	32300	37000
	10	23500	26000	28400	33300	38100
	11	24200	26800	29300	34300	39200

(ख) चिकित्सा अधिकारियों जिनके संबंध में प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है, के मामले में वेतन, संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगा:

(i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में ऐसी तदनुरूपी राशि हूबहू विद्यमान है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।

(ii) प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आगे विनिश्चय किए जाने तक उप-खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

उदाहरण

दिनांक 31-12-2015 को :-	वेतन बैंड	15600-39100		
	ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-3	लेवल	10	11	12
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400				
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 15600	1	56100	67700	78800
4. विद्यमान मूल वेतन : 21000	2	57800	69700	81200
5. मूल वेतन पर 25 % प्रैक्टिसबंदी भत्ता: 5250	3	59500	71800	83600
6. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125% की दर से मंहगाई भत्ता : 6563	4	61300	74000	86100
7. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: $21000 \times 2.57 = 53970$	5	63100	76200	88700
8. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ता :	6	65000	78500	91400
6563 (5250 का 125%)				

9. कम सं. 7 और 8 का जोड़ = 60533	
10. 5400 ग्रेड वेतन (पीबी-3) का तदनुरूपी लेवल: लेवल 10	
11. दिनांक 01-01-2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60540 के बराबर या अगली उच्चतर राशि): 61300	
12. संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250	
13. संशोधित वेतन + संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550	

- (2) यदि किसी पद का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य उच्चीकृत किया गया है, तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तदनुरूपी ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन जोड़ दिया जायेगा और फिर वेतन का निर्धारण निम्न विधि से किया जायेगा:-

ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने विद्यमान वेतनमान के उच्चीकरण के दिनांक से नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत किया है-

उदाहरण:

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1 2. विद्यमान वेतन : 2400 3. विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160+2400) 4. उन्नत ग्रेड वेतन : 2800 5. वेतनमान उच्चीकृत होने के दिनांक को वेतन निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन: 12960	वेतन बैंड	5200-20200				
	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200

(10160+2800)	2	18500	20500	22400	26300	30100
6. कम सं. 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन: 33307.20 (33307 में पूर्णांकित)	3	19100	21100	23100	27100	31000
7. ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 5	4	19700	21700	23800	27900	31900
8. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307 के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : 33900	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

- (3) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह अवकाश वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।
- (4) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है तो वह 01 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।
- (5) निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।
- (6) दिनांक 01-01-2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य यदि स्थायी पद धारक कोई सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए वेतन संरचना का विलय एक स्तर में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जाएगा।
- (7) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हैं तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
- (8) यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में

उसी काडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।

- (9) यदि किसी सरकारी सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अन्तर उस सरकारी सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
- (10) (1) ऐसे मामलों में जहां कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा-निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्वधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात्
- (क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी संवर्ग के समरूप (Identical) पद हों;
- (ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, की संशोधन पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना समरूप हों;
- (ग) पदोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के मूल वेतन के बराबर या उससे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा हो।
- (घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो;

बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि

के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप-नियम के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।

(2) खंड (i) के अनुसरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

(11) नियम 5 के उपबंधों के अध्याधीन यदि उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर यथा-निर्धारित वेतन वास्तविक पद में निर्धारित वेतन से कम है, तो स्थानापन्न वेतन वास्तविक वेतन के स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

8. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन उस पद, जिस पद पर सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया है, के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात् प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते, कि 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के मध्य नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती हैं तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

वेतन मैट्रिक्स में 9. वेतन वृद्धि

वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Level) की लम्बवत् कोष्ठिका (Vertical Cells) में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

उदाहरण:

लेवल 4 में 32300 रूपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लम्बवत् नीचे की ओर (Move Vertically Down the same Level in the cells) की कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन 33300 हो जाएगा।	वेतन बैंड	5200-20200				
	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900
	8	22100	24500	26800	31400	35900
	9	22800	25200	27600	32300 ↓	37000
	10	23500	26000	28400	33300	38100
	11	24200	26800	29300	34300	39200

संशोधित वेतन 10. संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख

- (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि पूर्व की भाँति प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी।
- (2) जिन सरकारी सेवकों की वेतन वृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2016 है उनका संशोधित वेतन संरचना में नियम-7 के उप खण्ड-1(क) के अनुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेबल की लम्बवत् अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन निर्धारित होगा।

- (3) ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के सम्बन्ध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण:

- (क) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जनवरी, 2016 और 30 जून, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :
- (ख) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई, 2016 और 31 दिसम्बर, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :
- (4) दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ

के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

01 जनवरी, 2016 के पश्चात्पत्ती तारीख से वेतन का संशोधन

11. यदि कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उप नियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति में तैनात सरकारी सेवक का वेतन संरक्षण

12. वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में या तो इन नियमों के अनुसार या उस पद पर जिस पर वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं, ऐसे निर्धारण को विनियमित करने वाले निर्देशों के अनुसार निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् उस वेतन से कम होता है जिसके हकदार ये अधिकारी रहे होते यदि वे वाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति की बजाए अपने मूल कांडर में रहे होते और वह वेतन आहरित किया होता, तो वेतन में ऐसे अन्तर की संरक्षा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में की जाएगी।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण

13. संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर (Level) से दूसरे स्तर (Level) में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:

(i) एक वेतनवृद्धि उस स्तर (Level) में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी पदोन्नति किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के स्तर (Level) में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

(ii) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामलों में भी उक्त प्रक्रियानुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण:

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4	वेतन बैंड	5200-20200				
	ग्रेड	1800	1900	2000	2400	2800
2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 28700	वेतन					
3. पदोन्नति/एएसीपी/समयमान वेतनामान/चयन वेतनमान के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में	लेवल	1	2	3	4	5
4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29600	1	18000	19900	21700	25500	29200
5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

(iii) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में मूल वेतन+प्रैक्टिस बन्दी भत्ता, शीर्ष स्तर के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।

(iv) उक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् यदि शासन द्वारा किसी पद का वेतनमान/स्तर अगले उच्च स्तर (Higher Level) में उच्चीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी दशा में उस पद पर कार्यरत पदधारक का मूल वेतन उच्चीकृत स्तर (Level) की समतुल्य कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका, उस उच्चीकृत स्तर/वेतनमान में उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस उच्च स्तर (Higher Level) में उपलब्ध उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका (At the immediate next higher cell) में रखा जायेगा।

वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि 14. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की बकाया राशि (ऐरियर) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनार्थ: किसी सरकारी सेवक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अभिप्राय निम्नलिखित के बीच अंतर से है :

(i) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार इन नियमों के अधीन अपने

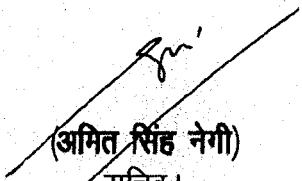
वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़।

- (ii) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।

नियमों का 15. मूल नियमों एवं शासनादेश संख्या-395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा अध्यारोही प्रभाव तत्सम्बन्धी अन्य आदेश (समय-समय पर यथासंशोधित) के उपबन्ध, इन नियमों में किये गये अन्यथा उपबन्ध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत है, लागू नहीं होंगे, जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।

शिथिलीकरण की शक्ति 16. राज्यपाल का यह समाधान होने पर कि इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबन्ध के परिचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, के अधीन रहते हुए उस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।

निर्वचन 17. यदि इन नियमों के किसी उपबन्ध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न/कठिनाई उत्पन्न होती है, तो विनिश्चय के लिए वित्त विभाग को संदर्भित किया जाएगा।


(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

अनुसूची-1

[नियम 3(vi)]

वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैंड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4800	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19800	21700	26500	28200	35400	44900	47800	53100
2	18600	20500	22400	28300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37800	47800	50600	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39800	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29800	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43800	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23600	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47800	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50600	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42900	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82800
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39800	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58600	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48600	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54800	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59800	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	106900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56800	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

15000-39100			37400-67000			67000-78000	80000
5400	6800	7800	8700	8800	10000	--	--
10	11	12	13	13 4	15	16	17
56100	67700	78600	118500	131100	144200	182200	226000
57800	69700	81200	122100	136000	148500	187700	
59500	71800	83800	126800	139100	153000	193300	
61300	74000	86100	129800	143300	157800	198100	
63100	76200	88700	133500	147800	162300	205100	
66000	78500	91400	137500	152000	167200	211300	
67000	80800	94100	141800	156800	172200	217600	
69000	83300	96800	145800	161300	177400	224100	
71100	85800	99800	150200	166100	182700		
73200	88400	102800	154700	171100	188200		
75400	91100	105900	159300	176200	193800		
77700	93800	109100	164100	181500	199600		
80000	96600	112400	169000	186900	205600		
82400	99500	115800	174100	192500	211800		
84900	102500	119300	179300	198300	218200		
87400	105600	122900	184700	204200			
90000	108800	126800	190200	210300			
92700	112100	130400	195800	216600			
95500	115500	134300	201800				
98400	119000	138300	207900				
101400	122600	142400	214100				
104400	126300	146700					
107500	130100	151100					
110700	134000	155800					
114000	138000	160300					
117400	142100	165100					
120800	146400	170100					
124500	150800	175200					
128200	155300	180600					
132000	160000	186000					
136000	164800	191500					
140100	169700	197200					
144300	174800	203100					
148600	180000	209200					
153100	185400						
157700	191000						
162400	196700						
167300	202600						
172300	208700						
177500							

अनुसूची-2

विकल्प का फॉर्म

{नियम 6(2) देखें}

1. मैं, _____ 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना का चयन करता हूँ/करती हूँ।
2. मैं, _____ अपने निम्न-उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक जब मेरा वेतन बढ़कर _____ रूपए हो जाए/मेरे, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/_____ के पद पर मेरी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ;

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं _____

कार्मिक संख्या _____

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

वचनबंध

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों से विपरीत रीति में निर्धारित हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बंकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

कार्मिक संख्या _____

दिनांक:

स्थान:

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक : 12 सितम्बर, 2017

विषय : दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें ग्रेड वेतन रू0 8700/- के लिए तालिका लेवल-13 निर्धारित था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2017 द्वारा ग्रेड वेतन रू0 8700/- के लिए निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 को संशोधित कर दिया गया है।

2. भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2017 के क्रम में अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा जारी उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700/- के लिए संलग्नक की तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल-13 की कोष्ठिकाओं को स्तम्भ-3 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित वेतन मैट्रिक्स उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।
कमरा:.....2

संख्या- /XXVII(7)30(7)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं पेंशन सेवायें, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-165 /XXVII(7)30(7)/2017 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

(1)	(2)	(3)
1	118500	123100
2	122100	126800
3	125800	130600
4	129600	134500
5	133500	138500
6	137500	142700
7	141600	147000
8	145800	151400
9	150200	155900
10	154700	160600
11	159300	165400
12	164100	170400
13	169000	175500
14	174100	180800
15	179300	186200
16	184700	191800
17	190200	197600
18	195900	203500
19	201800	209600
20	207900	215900
21	214100	